

## कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

--आदेश--

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 10(4) ग्रुप-2/एफ.डी./76 दिनांक 13.10.84 एवं संशोधित आदेश दिनांक 02.05.98 व एफ 6(6) एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक 25.04.12 के अन्तर्गत विकलांग मेडिकल बोर्ड राजकीय बागड चिकित्सालय पाली की अभिशंषा के आधार पर श्री विवेक चितारा, व्याख्याता (भूगोल) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चोटिला, पाली को उनके आवेदन पत्र दिनांक 30.10.17 से मूल वेतन का 6% की दर से जो अधिकतम रूपये 600 रु. (अखरे रु. छः सौ मात्र) की दर से विकलांग वाहन भत्ता एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है।

इन्हे आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश का उपभोग करने की अवधि का यथा ग्रीष्मावकाश, शीतकालिन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानांतरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण से कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि तथा निलंबन अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।



(नथमल डिडेल)


आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान बीकानेर

दिनांक 21.12.17

क्रमांक: शिविरा/माध्य/सी-5/विकलांग भत्ता/2016-17  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. संबंधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
2. संबंधित जि.शि.अ. (माध्य)
3. संबंधित प्रधानाचार्य
4. संबंधित कार्मिक
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर कार्यालय हाजा
6. गार्ड, पंजिका



संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर